अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

अल्पसंख्यक मामलात् एवं वक्फ विभाग

7310, Food Building, Government Secretariat, Jaipur, Rajasthan
Tel. No. 0141-2385660 Email :- dsmaraj@gmail.com

क्रमांकः प. 3(11)अल्प.वक्फ / 2017 जयपुर,दिनांक : 21.01.2020

सचिव,
राजस्थान मदरसा बोर्ड,
जयपुर।

विषय :– मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2019–20 के बिन्दु संख्या–116 की क्रियान्विति अन्तर्गत "मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना" के दिशा–निर्देशों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2019–20 की बजट घोषणा के बिन्दु 116 की क्रियान्विति अन्तर्गत "मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना" के संचालन हेतु दिशा–निर्देश संलग्न कर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देश की क्रियान्विति मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के पत्र क्रमांक एफ. 7(7)(1)/पंचा/रानिआ/2019–20/896 दिनांक 20.01.2020 में दिये गये निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त दिशा–निर्देश वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 161901218 दिनांक 07.01.2020 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते है।

भवदीय,

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(मूल चन्द)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित उक्त दिशा–निर्देश एवं राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र की प्रति संलग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
5. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर को समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पालनार्थ भिजवाने हेतु।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (वित्त) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, शासन सचिालय, जयपुर।
10. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
11. नोडल अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग को विभागीय वेबवाईट पर अपलोड करने बाबत।
12. रक्षित पत्रावली।

(रमेश चन्द परेवा)
सहायक शासन सचिव

Letter 2019

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात् एवं वक्फ विभाग
7310, Food Building, Government Secretariat, Jaipur, Rajasthan
Tel. No. 0141-2385660 Email :- dsmaraj@gmail.com

क्रमांक प. 3(11)अल्प.वक्फ/2017/RK/00027 जयपुर, दिनांक : 21.01.2020

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना

(मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजना)

–:दिशा निर्देश:–

1. प्रस्तावना :–

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना का उद्देश्य राजस्थान राज्य में संचालित मदरसों का आधारभूत संरचना का विकास करना है। जिसके माध्यम से मदरसों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जा सके। मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की जागृति लाकर अधिक से अधिक छात्र–छात्राओं में अध्ययन के प्रति रुची जागृत कर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जा सके। इस योजना के तहत मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने हेतु आधारभूत संरचना का विकास किया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार भौतिक सुविधाऐं उपलब्ध करवाई जाएगी।

2. परिभाषा :–

A. इस योजना में वर्णित निम्न शब्दों का अर्थ निम्नानुसार होगा :–

(i) बोर्ड का आशय "राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर" से है।
(ii) अध्यक्ष का आशय "अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड" से है।
(iii) राज्य सरकार का आशय "राजस्थान सरकार" से है।
(iv) मदरसे का आशय "राजस्थान मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसे" से है।
(v) योजना का आशय "मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीरण योजना" वर्ष 2019–20 से है।
(vi) अनुदान का आशय 'बोर्ड द्वारा मदरसे को उपलब्ध करवाई गई मौद्रिक/भौतिक सामग्री सहायता' से है।

B. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न ऐजेंसियों को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है :–

(i) योजना क्रियान्वयन ऐजेन्सी – राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
(ii) योजना लाभान्वित ऐजेन्सी – राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसा।
(iii) योजनान्तर्गत कार्यकारी ऐजेन्सी – नगरीय निकाय/पी.डब्लयू.डी./समसा/पंचायती राज संस्थाए एवं निमार्ण कार्य हेतु अन्य राजकीय संस्थाए होगी।
(iv) योजना की मोनटरिंग ऐजेन्सी – सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड, सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मदरसे के सदर/सचिव होंगें।

3. उद्देश्य :–

इस योजना को संचालित करने के निम्न उद्देश्य है :–

(i) मदरसों की आधारभूत संरचना का विकास करना जैसे कक्षा–कक्ष, पेयजल सुविधा, शौचालय एवं किचन शेड का निर्माण।
(ii) मदरसों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को अध्ययन हेतु भौतिक सुविधाऐं उपलब्ध कराना जैसे कम्प्यूटर, यू.पी.एस., प्रिन्टर, स्मार्ट क्लास रूम, ड्यूल डेस्क, स्टाफ फर्नीचर, अलमीरा, लाईब्रेरी बुक्स, टीचर्स लर्निंग मेटेरियल, ई–कन्टेन्ट एवं कम्प्यूटर एडेड लर्निंग उपकरण।

Scanned by CamScanner

4. **आवेदन की प्रक्रिया**

(i) योजना का लाभ लेने हेतु मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में वर्णित सभी दस्तावेजों के साथ (परिशिष्ठ–1) जो निम्नानुसार हैः–

1. मदरसे के स्वामित्व का विवरण जिसमें उपपंजीयक/तहसीलदार से पजीकृत दस्तावेज।
2. मदरसे का ब्लू प्रिन्ट जो सदर/सचिव से हस्ताक्षर युक्त हो एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उसे प्रमाणित करें। वर्तमान में निर्माण कार्य करवाये जाने वाले भाग को माप सहित अलग रंग में दर्शाना है।
3. कार्यकारी ऐजेन्सी की सहमति एवं तकमीना तथा तकनिकी रिपोर्ट संलग्न करें।
4. छात्र संख्या कक्षावार संलग्न करें।

(ii) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को पत्रावली प्रस्तुत करेगें।

(iii) जिला अल्पसख्ंयक कल्याण अधिकारी सभी आवेदन पत्रों को अपनी अभिशंषा के साथ प्राप्त होने के 15 दिवस में कार्यालय राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर को प्रेषित करेगें।

5. **चयन प्रक्रिया**

(i) योजना के अन्तर्गत मदरसों के चयन के लिए अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग से उपनिदेशक स्तर के अधिकारी, अकादमिक अधिकारी एवं लेखाधिकारी राजस्थान मदरसा बोर्ड **सदस्य होंगें।**

(ii) चयन समिति द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच करने के पश्चात पात्र मदरसों का चयन 30 दिवस में किया जायेगा।

(iii) चयन समिति द्वारा चयनित मदरसों की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पत्रावली 15 दिवस में राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

(iv) सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी की जायेगी।

6. **चयन के मापदण्ड**

(i) निर्माण कार्य हेतु ''ए'' श्रेणी के मदरसों का चयन किया जायेगा एवं निर्माण की स्वीकृत कुल राशि का 90 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि मदरसा प्रबंधन समिति जन सहयोग से प्राप्त कर वहन करेगी।

(ii) भौतिक सामग्री हेतु योग्य मदरसों का चयन किया जायेगा।

(iii) योजना में प्रत्येक जिले में एक मदरसे का चयन सुनिश्चित किया जयेगा एवं उसके पश्चात् प्रत्येक जिले से मदरसों की अनुपातिक संख्या के आधार पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले मदरसों का चयन किया जायेगा।

(iv) चयन समिति द्वारा स्मार्ट क्लास रुम हेतु चयनित, भवन विहीन अधिकतम नामांकन वाले मदरसों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

7. **योजना का प्रचार प्रसार**

मदरसा बोर्ड द्वारा उक्त योजना की विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जिसकी सूचना मदरसा बोर्ड एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवायी जायेगी। प्रत्येक जिले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा योजना का प्रचार–प्रसार प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया में अपने स्तर पर करवाया जायेगा। राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा भी योजना का अपेक्षित प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

8. **अनुदान की शर्ते**

(i) योजना में प्राथमिक स्तर के मदरसे हेतु अधिकतम राशि 15.00/–लाख रूपये एवं उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसे हेतु अधिकतम राशि 25.00/– लाख रूपये का कार्य स्वीकृत किया जा सकेगा।

(ii) योजना में प्रत्येक मदरसे में कक्षा–कक्ष, शौचालय एवं किचन शेड की माप का निर्धारण राजकीय विद्यालयों की तर्ज पर शिक्षा विभाग के मापदण्ड/दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। किसी मदरसे में उक्त मापदण्ड के अनुसार पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी स्थिति में मदरसा प्रबन्धन समिति एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा संयुक्त मौका निरीक्षण किया जाकर संयुक्त मौका रिपोर्ट तैयार की जावेगी एवं तदअनुसार उक्त मापदण्डों में परिवर्तन प्रस्तावित कर सकेंगे।

(iii) योजना में निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(iv) भौतिक सामग्री हेतु देय अनुदान में राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा आवश्यक सामग्री क्रय कर मदरसों को उपलब्ध करवाई जायेगी।

(v) निर्माण कार्य हेतु देय अनुदान में कार्यकारी एजेन्सी को राशि का हस्तान्तरण किया जायेगा।

(vi) चयनित मदरसे के द्वारा कुल स्वीकृत राशि का 10 प्रतिशत चयन होने के पश्चात दो माह के भीतर राजस्थान मदरसा बोर्ड के खाते मे जमा करवानी होगी।

(vii) मदरसा प्रबन्धन समिति द्वारा उपरोक्त कार्यकारी ऐजेंसियों में से सुलभता के आधार पर संबंधित कार्यकारी ऐजेंसी से सहमति प्राप्त करके उसकी प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी। इस हेतु आवश्यकता होने पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का सहयोग लिया जा सकेगा।

(viii) कार्यकारी ऐजेंसी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् स्वीकृत राशि का हस्तान्तरण तीन किश्तों (50:40:10) में कार्यकारी एजेन्सी को किया जायेगा। कार्यकारी एजेंसी द्वारा प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त द्वितीय किश्त एवं स्वीकृत कार्य पूर्ण करने के पश्चात समस्त कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त तृतीय किश्त जारी की जायेगी।

(ix) कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्य की नियमित देख–रेख की जायेगी एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।

(x) दिशा–निर्देशों से सम्बन्धित सभी स्पष्टीकरण देने हेतु सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड सक्षम होंगें।

(xi) संबंधित मदरसे को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से प्रमाणित हो की गत पांच वर्षों में किसी भी योजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु अनुदान राशि स्वीकृत नहीं हुई है।

(मूल चन्द)
संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner

राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना

(मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजना)

आवेदन पत्र

1	मदरसे का नाम व पता	
2	मदरसा बोर्ड में मदरसे का पंजीयन संख्या	
3	बोर्ड में पंजीयन का स्तर	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक
4	यदि मदरसा किसी अन्य योजना के तहत लाभ ले रहा है तो उसका नाम एवं विवरण	
5	यदि बोर्ड द्वारा पूर्व में मदरसे को आधुनिकीकरण योजना में निर्माण हेतु राशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण	
6	मदरसा सदर का नाम एवं मोबाईल नं.	
7	मदरसा सचिव का नाम एवं मोबाईल नं.	
8	मदरसे में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की संख्या	
	कक्षा 1 से 5 तक	
	कक्षा 6 से 8 तक	
9	मदरसा जिस भूमि पर निर्मित है, उसके स्वामित्व का विवरण	
10	मदरसा भूमि का कुल क्षेत्रफल वर्गगज में	
11	निर्मित भाग का क्षेत्रफल वर्गगज में	
12	खाली भूमि का क्षेत्रफल वर्गगज में	
13	मदरसे का ब्लयू प्रिन्ट तथा जो निर्माण कार्य वर्तमान में करवाया जाना है उसकी माप सहित अलग रंग से दर्शाना है	
14	कार्यकारी ऐजेंसी की सहमति / तकमीना एवं तकनीकी रिपोर्ट संलग्न करे	
15	आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों का विवरण	

घोषणा

हम शपथपूर्वक बयान करते है कि उपरोक्त समस्त तथ्य सही है एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि करते है।

सदर के हस्ताक्षर मय सील

सचिव के हस्ताक्षर मय सील

उक्त मदरसा "मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना" के अन्तर्गत लाभान्वित होने हेतु योग्य है। आवेदन पत्र को चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अभिशंषा करता हूँ।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का नाम
पदनाम मय सील

Scanned by CamScanner

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात् एवं वक्फ विभाग
7310, Food Building, Government Secretariat, Jaipur, Rajasthan
Tel. No. 0141-2385660 Email :- dsmaraj@gmail.com

क्रमांकः प. 3(11)अल्प.वक्फ/2017/RK/00028 जयपुर,दिनांक : 21.01.2020

आज्ञा

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु निम्नांनुसार सहमति/असहमति प्रदान की जाती है :–

1. मदरसा आधुनीकरण योजनान्तर्गल लेखाशीर्ष 2202–01–800–(05)[00]–12 सहायतार्थ अनुदान गैर संवेतन मद (SF) में वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रावधित राशि रू. 776.89 लाख वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 161900900 दिनांक 11.09.2019 द्वारा मदरसा बोर्ड के पी.डी. खाते में अंतरित करने की सहमति प्रदान की जा चुकी है। अतः राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पुनर्विनियोजन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव सहमति प्रदान करने योग्य नही है।
2. अल्पसंख्यक मामलात विभाग की बीएफसी में इस संबंध में हुए विचार–विमर्श के दौरान विभाग द्वारा सूचित विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त बिन्दु (1) में वर्णित राशि रू. 776.89 लाख में से रू. 476.89 लाख का उपयोग मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु करने के लिए वित्त विभाग की सहमति As a special case के रूप में प्रदान की जाती है तथा राजस्थान मदरसा बोर्ड को सलाह प्रदान की जाती है कि भविष्य में संबंधित वर्ष की प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए बजट प्रावधान कराना सुनिश्चित करावें। कार्यकारी एजेन्सी राजकीय संस्था ही होगी।
3. लेखाशीर्ष 2202–01–800–(05)[00]–12 सहायतार्थ अनुदान गैर संवेतन मद (राज्य निधि) में शेष रही राशि रूपये 300.00 लाख में स्कूल सुविधा अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए रूपये 187.00 लाख राज्य निधि मद से व्यय करने हेतु दी गई सहमति की राशि को सम्मिलित कर लिया गया है।
4. लेखाशीर्ष 2202–01–800–(05)[00]–93 पूँजीगत परिसम्पत्तियों क सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान (राज्य निधि) मद में रूपये 223.11 लाख का अतिरिक्त बजट प्रावधान उपलब्ध करवाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी.संख्या–161901218 दिनांक 07.01. 2020 द्वारा प्रदत सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

उक्त आज्ञा की क्रियान्विति मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के पत्र क्रमांक एफ. 7(7)(1)/पंचा/रानिआ/2019–20/896 दिनांक 20.01.2020 में दिये गये निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।

आज्ञा से,

(मूल चन्द)
संयुक्त शासन सचिव

Letter 2019

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, राजस्थान को उनकी आई. डी.संख्या–**161901218** दिनांक **07.01.2020** के संबंध में।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर को उनकी पत्रावली संख्या एफ. 30()रामबो/लेखा/बजट घोषणा–19–20 का पैरा 32–53/एन. के क्रम में एवं उक्त पत्रावली मूल ही नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
8. कोषाधिकारी जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(रमेश चन्द परेवा)
सहायक शासन सचिव

Scanned by CamScanner

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ.7(7)(1)/पंचा/रानिआ/2019-20/896 दिनांक : 20/1/2020

प्रेषक:-

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान,
जयपुर।

प्रेषिति:-

प्रमुख शासन सचिव,
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत परिसंपत्तियों के निर्माण एवं योजना के दिशा-निर्देश के संबंध में।

प्रसंग : आपकी पत्रावली प.3(11)अल्प.वक्फ/2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रावली के द्वारा आपने मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के दिशा-निर्देश जारी किये जाने एवं मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु आज्ञा जारी किये जाने हेतु मार्गदर्शन चाहा है।

इस संबंध में आयोग के निर्देशानुसार जिन ग्राम पंचायतों के चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं एवं जिनके चुनाव का कार्यक्रम अभी जारी नही किया गया है, उनमें मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत परिसंपत्तियों के निर्माण एवं योजना के दिशा-निर्देश की स्वीकृति जारी की जा सकती है।

संलग्न :- आपकी पत्रावली प.3(11)अल्प.वक्फ/2017

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

Scanned by CamScanner

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 – चुनाव कार्यक्रम
(पंच एवं सरपंच पद हेतु)

क्र.स.	कार्य का विवरण	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण
1	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी करने की तिथि	07.01.2020 (मंगलवार)	11.01.2020 (शनिवार)	18.01.2020 (शनिवार)
2	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय	08.01.2020 (बुधवार) प्रातः 10.30 से सांय 4.30 तक	13.01.2020 (सोमवार) प्रातः 10.30 से सांय 4.30 तक	20.01.2020 (सोमवार) प्रातः 10.30 से सांय 4.30 तक
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	09.01.2020 (गुरूवार) प्रातः 10.30 से	14.01.2020 (मंगलवार) प्रातः 10.30 से	21.01.2020 (मंगलवार) प्रातः 10.30 से
4	नाम वापसी की अंतिम तारीख एवं समय	09.01.2020 (गुरूवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक	14.01.2020 (मंगलवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक	21.01.2020 (मंगलवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
5	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	09.01.2020 (गुरूवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्	14.01.2020 (मंगलवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्	21.01.2020 (मंगलवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
6	मतदान दलों का प्रस्थान/पहुँच	16.01.2020 (गुरूवार)	21.01.2020 (मंगलवार)	28.01.2020 (मंगलवार)
7	मतदान की तिथि एवं समय	17.01.2020 (शुक्रवार) प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक	22.01.2020 (बुधवार) प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक	29.01.2020 (बुधवार) प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
8	मतगणना (पंचायत मुख्यालय पर)	17.01.2020 (शुक्रवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्	22.01.2020 (बुधवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्	29.01.2020 (बुधवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्
9	उपसरपंच का चुनाव	18.01.2020 (शनिवार)	23.01.2020 (गुरूवार)	30.01.2020 (गुरूवार)

26/12

Scanned by CamScanner

परिशिष्ठ–A

STATE ELECTION COMMISSION RAJASTHAN

Revised Statement of Spell-wise Panchayat Samiti & Grampanchayat for General Election of Sarpanch & Panch, 2020

S. No.	District	Ist Spell				IInd Spell				IIIrd Spell			
		Panchayat Samiti	G.P.	Ward	Polling Booth	Panchayat Samiti	G.P.	Ward	Polling Booth	Panchayat Samiti	G.P	Ward	Polling Booth
1	AJMER	PEESANGAN	24	264	105	SRINAGAR	18	186	71	KISHANGARH	33	365	145
		BHINAY	25	271	120	ARAI	22	232	85				
		JAWAJA	46	396	157	MASUDA	40	386	162				
		SRINAGAR	7	87	40								
		4	102	1018	422	3	80	804	318	1	33	365	145
2	ALWAR	TIJARA	47	531	200	RAMGARH	43	465	181	KISHANGARHBAS	37	351	145
		RAINI	26	318	129	*MALAKHEDA*	*33*	317	117	BEHROR	32	340	152
		KATHUMAR	47	535	193					*GOVINDGARH*	*25*	*257*	*113*
		3	120	1384	522	1	76	782	298	3	94	950	410
3	BANSWARA	ANANDPURI	34	290	112	BAGIDORA	32	244	96				
		KUSHALGARH	51	365	140	BANSWARA	42	324	123				
		GHATOL	68	580	223	CHHOTI SARVAN	21	177	68				
		GADHI	45	345	150	SAJJANGARH	38	346	130				
						GANGARTALAI	30	216	83				
						TALWARA	29	241	87				
		4	198	1580	625	6	192	1548	587	0	0	0	0
4	BARAN	ATARU	35	349	138	SHAHBAD	36	292	123	KISHANGANJ	39	339	137
		BARAN	26	246	82	CHHIPABAROD	30	352	109	CHHABRA	27	267	87
		2	61	595	220	2	66	644	232	2	66	606	224
5	BARMER	BALOTRA	38	316	154	SINDHARI	30	196	88	BAYATU	38	252	103
		GIDA	36	234	96	*PAYALA KALAN*	*17*	*99*	*45*	*FAGLIYA*	*18*	*152*	*57*
		GUDAMALANI	31	203	84	GADRAROAD	37	223	100				
		SAMDARI	26	216	92	*BARMER RURAL*	*37*	*275*	*100*				
		KALYANPUR	29	191	90								
		FAGLIYA	*4*	*36*	*15*								
		PAYALA KALAN	*3*	*19*	*9*								
		7	167	1215	540	4	121	793	333	2	56	404	160
6	BHARATPUR	DEEG	37	387	115	SEWAR	32	348	127	ROOPWAS	32	322	130
		PAHADI	35	377	129	KUMHER	37	407	117	BAYANA	46	476	188
						NADBAI	36	386	140	WAIR	25	253	83
						BHUSAWAR	*24*	*266*	*87*				
						UCHCHAIN	*24*	*248*	*84*				
		2	72	764	244	5	153	1655	555	3	103	1051	401
7	BHILWARA	RAIPUR	22	*230*	*86*	JAHAZPUR	38	436	169	SHAHPURA	39	407	151
		BIJOLIA	22	248	78	MANDALGARH	29	305	111	KOTRI	33	377	139
						SAHARA	28	276	97	BANERA	26	284	101
						KAREDA	*24*	276	106				
		2	44	478	164	4	119	1293	483	3	98	1068	391

Scanned by CamScanner

8	BIKANER	NOKHA	43	357	153								
		DUNGARGARH	53	489	169								
		PANCHU	33	303	129								
		3	129	1149	451								
9	BUNDI	K.PATAN	46	464	185	NAINWA	33	373	128	TALERA	33	369	128
						HINDOLI	42	472	171	BUNDI	30	320	106
		1	46	464	185	2	75	845	299	2	63	689	234
10	CHITTORGARH	NIMBAHERA	37	359	116	CHITTORGARH	40	432	148	GANGRAR	22	222	96
		BARISADRI	26	242	89	KAPASAN	23	239	81	BEGUN	31	279	98
		DOONGLA	26	278	83	RASHMI	23	219	75	BHAINSRORGARH	27	237	89
		BHADESAR	25	279	97	BHOPALSAGAR	19	195	68				
		4	114	1158	385	4	105	1085	372	3	80	738	283
11	CHURU	SUJANGARH	34	348	145					SARDARSHAHAR	63	575	243
		BEEDASAR	27	283	118								
		2	61	631	263					1	63	575	243
12	DAUSA	*BASWA*	*18*	*188*	*84*								
		1	18	188	84								
13	DHOLPUR	DHOLPUR	35	377	135								
		RAJAKHERA	32	338	118								
		BASERI	28	290	112								
		SARMATHURA	*22*	*228*	*86*								
		4	117	1233	451								
14	DUNGARPUR	DUNGARPUR	36	274	97	SABLA	31	237	96				
		BICHIWARA	42	322	98	GALIAKOT	30	228	84				
		SIMALWARA	37	253	100	ASPUR	31	237	99				
		SAGWARA	53	423	157	JHONTHARI	32	222	85				
						CHIKHLI	27	205	83				
						DOVARA	34	240	89				
		4	168	1272	452	6	185	1369	536				
15	GANGANAGAR	SRIVIJAYNAGAR	29	283	93	PADAMPUR	36	360	100	SRI GANGANAGAR	50	526	170
						RAISNGHNAGAR	47	451	123	KARANPUR	35	339	85
						SADULSAHAR	28	334	114				
						SRI GANGANAGAR	3	29	12				
		1	29	283	93	4	114	1174	349	2	85	865	264
16	HANUMANGARH	BHADRA	49	559	204	RAWATSAR	36	360	124	HANUMANGARH	41	477	187
		NOHAR	47	553	206	TIBBI	30	360	133	PILIBANGA	40	442	187
		2	96	1112	410	2	66	720	257	2	81	919	374
17	JAIPUR	AMER	25	291	110	GOVINDGARH	49	607	252	VIRATNAGAR	32	322	120
		MOZAMABAD	*21*	241	91	SANGANER	31	347	139	JHOTWARA	19	223	105
		JALSU	34	328	128					PAWTA	32	356	144
		3	80	860	329	2	80	954	391	3	83	901	369
18	JALORE	RANIWARA	32	352	140	JALORE	29	331	139	SAYLA	44	496	210
										AHORE	41	467	192
		1	32	352	140	1	29	331	139	2	85	963	402

Scanned by CamScanner

19	JHALAWAR	DUG	32	362	111	JHALRAPATAN	30	306	111	KHANPUR	38	412	156
		MANOHARTHANA	27	289	124	PIDAWA	44	450	167	BAKANI	25	243	83
		BHAWANI MANDI	27	293	105	AKLERA	17	131	55				
		AKLERA	14	142	46								
		4	100	1086	386	3	91	937	333	2	63	655	239
20	JHUNJHUNU									NAWALGARH	46	528	222
										1	46	528	222
21	JODHPUR	BALESAR	38	276	109					SHERGARH	31	225	86
										BILARA	30	256	92
		1	38	276	109					2	61	511	178
22	KAURALI	KAURALI	32	342	118	NADOTI	30	320	119				
		SAPOTRA	36	366	116								
		MANDARAYAL	24	224	72								
		3	92	932	306	1	30	320	119				
23	KOTA	LADPURA	22	246	81	SANGOD	36	378	136				
						SULTANPUR	33	375	126	ITAWA	30	338	112
		1	22	246	81	2	69	753	272	KHERABAD	37	443	167
24	NAGAUR	NAGAUR	40	458	[illegible]	LADNUN	34	374	45	2	67	781	279
		JAYAL	38	452	185	MUNDWA	24	256	115				
		MOLASAR	27	309	115								
		NAVA	24	280	92								
		MUNDWA	7	75	35								
		5	136	1574	625	2	58	630	261				
25	PALI	ROHAT	23	253	101	PALI	24	248	90				
		BALI	47	487	195	DESURI	24	266	47	MARWAR JUN.	48	514	206
		RANI	28	292	117	SOJAT	38	434	152	SUMERPUR	30	350	127
		3	98	1032	413	3	86	948	339	JAITARAN	38	452	203
26	PRATAPGARH	ARNOD	21	147	57					3	116	1316	536
		1	21	147	57								
27	RAJSAMAND	KHAMNOR	25	269	97					PIPALKHUNT	23	169	67
		KUMBHALGARH	37	377	133	RAILMAGRA	29	315	103	1	23	169	67
		DELWARA	16	174	61	BHIM	31	321	120	RAJSAMAND	33	337	131
		3	78	820	291	DEOGARH	20	212	70	AMET	20	224	87
28	SAWAI MADHOPUR	KHANDAR	32	340	123	3	80	848	293	2	53	561	218
		CHOUTH KA BARWA	23	279	111	BONLI	25	239	101	GANGAPURCITY	44	466	157
		2	55	619	234	MALARNA DUNGAR	27	213	27				
29	SIKAR	LAXMANGARH	35	355	180	2	52	502	128				
		NEEMKATHANA	33	381	158	SRIMADHOPUR	22	300	133	1	44	466	157
		PATAN	22	240	89	KHANDELA	45	547	244				
		AJITGARH	21	292	127								
		PALSANA	29	331	133								
		NECHWA	18	188	99								
		6	161	1787	786	2	67	847	377				

236

Scanned by CamScanner

[illegible]	SIROHI	ABU ROAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	REODAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PINDWARA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
										[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2		[illegible]	[illegible]
[illegible]	TONK	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		NIWAI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
		2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		BHINDER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KHERWARA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	GIRWA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UDAIPUR	KOTRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LASADIYA	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SALUMBER	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
						RISHABHDEO	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
						NAYAGAON	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
		4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	221	[illegible]	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	341
	Grand Total	87	2726	20500	10206	71	2333	22591	8365	49	1700	17516	6712

SPELL	No. Of. Panchayat Samiti	No. of Gram Panchayat (Sarpanch)	No. of Ward (Panch)	No. of Polling Booth
Ist	87	2726	20500	10206
IInd	71	2333	22591	8365
IIIrd	49	1700	17516	6712
TOTAL	210	6759	60607	25283

9/1/20

Scanned by CamScanner